

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (HOME, EDUCATION & SKILL DEVELOPMENT)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI – 110 002

संख्या: बिल/आयकर/2021-22/116

दिनांक: 21/09/2021

विषय: अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके आयकर स्वतः निर्धारण फॉर्म 12-BB प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास), नई दिल्ली के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष 2021-22 के आयकर स्वतः निर्धारण फॉर्म 12-BB भरकर अनुभाग में दिनांक 27/09/2021 तक सभी आवश्यक दस्तावेज/फोटोप्रति के साथ प्रस्तुत करें।

यह फॉर्म कार्यालय की वेबसाइट- <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/en> पर भी उपलब्ध है।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को 21/09/2021 से 31/03/2022 तक प्रीमियम भुगतान/निवेश आदि करने हैं वे बिल अनुभाग को लिखित में अनुमानित राशी अवश्य सूचित करें।

फॉर्म 12-BB दिनांक 27/09/2021 तक प्राप्त न होने पर बिल अनुभाग द्वारा उपलब्ध विवरण के आधार पर नियमानुसार आयकर की गणना करके वेतन से कटौती कर ली जाएगी। आयकर फॉर्म 12-BB समय से न देने की स्थिति में यदि आयकर अधिक कट जाता है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी की होगी।

लेखा परीक्षा समूहों के मुख्यालय अनुभागों से निवेदन है यह सूचना सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

-हस्ता.-

व. लेखापरीक्षा अधिकारी (बिल)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1) सभी अनुभाग
- 2) कार्यालय सूचना पट्ट
- 3) डाटा एनालिटिक्स ग्रुप (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (HOME, EDUCATION & SKILL DEVELOPMENT)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI – 110 002

BILL SECTION

No. bill/Income tax/2021-22/116

Dated: 21/09/2021

Subject – Submission of their Income Tax self assessment form 12BBby employees – reg.

Officers/officials of the office of the Director General of Audit (Home, Education & Skill Development) hereby informed that they have to submit their income tax self assessment form 12-BB for financial year 2021-22 with all necessary documents /photocopies.

This form is also available at the official website <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/en>.

Those officers/officials who want to invest premium due between 21/09/2021 to 31/03/2022 need to inform the bill section in written.

If form 12-BB is not received by 27/09/2021 then based on the available calculation, there will be deduction of income tax. Those officials who will not submit their 12-BB form in time will be responsible for their excess deductions/income tax from their salary.

Audit management groups are requested to convey the information to their respective Officers/Officials.

-sd-

Sr. Audit Officer (BILL)

Copy forward to

- 1) All section
- 2) Office Notice Board
- 3) Data analytics group (for upload on website)

देय तिथि :- 27-09-2021

Due Date :- 27-09-2021

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास) नई दिल्ली-110002
Office of Director General of Audit (Home, Education & Skill Dev.) New Delhi- 110002

FORM NO.12BB

(See rule 26C)

1. Name of the employee (EMP CODE): कर्मचारी का नाम (कर्मचारी कोड)			
2. Permanent Account Number of the employee (PAN) (स्थायी खाता सं.):			
3. Financial year (वित्तीय वर्ष):		2021-22	
TAX REGIME (Tick)		OLD REGIME	NEW REGIME
Income from other sources (अन्य स्रोतों से आय) :			
Details of claims and evidence thereof (दावों/ रिबेट का विवरण एवं उनके साक्ष्य)			
SI No. (क्रम सं.)	Nature of claim (दावे का प्रकार)	Amount (राशी रूपों में) (Rs.)	Evidence / particulars (साक्ष्य/ विवरण)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	House Rent Allowance (गृह किराया भत्ता) :		
	(i) Rent paid to the landlord (अदा किया गया किराया)		
	(ii) Name of the landlord (मकान मालिक का नाम)		
	(iii) Address of the landlord (मकान मालिक का पता)		
	(iv) Permanent Account Number of the landlord (PAN) (मकान मालिक का स्थायी खाता सं.)		
Note: PAN of Landlord is mandatory to claim HRA rebate, if the aggregate rent paid during the year exceeds one lakh rupees. नोट :- यदि वार्षिक किराया एक लाख रुपये से अधिक है तो मकान किराया भत्ता की छूट लेने के लिए मकान मालिक का PAN अनिवार्य है।			
2	Deduction of interest on borrowing (ऋण पर ब्याज की कटौती) :		
	(i) Interest payable/paid to the lender (अदा किया गया ब्याज)		
	(ii) Name of the lender (ऋणदाता का नाम)		
	(iii) Address of the lender (ऋणदाता का पता)		
	(iv) Permanent Account Number of the lender (ऋणदाता का PAN)		
	(a) Financial Institutions(if available) (वित्तीय संस्थान)		
	(b) Employer(if available) (नियोक्ता)		
	(c) Others (अन्य)		

3	Deduction under Chapter VI-A (चैप्टर VI-A के तहत कटौती)		
	(A) Section 80C,80CCC and 80CCD		
	(i) Section 80C		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	(d)		
	(e)		
	(f)		
	(ii) Section 80CCC		
	(iii) Section 80CCD		
	(B) Other sections (e.g. 80D, 80E, 80G, 80TTA, etc.) under Chapter VI-A. (चैप्टर VI-A के अधीन अन्य सेक्शन)		
	(i) section		
	(ii) section		
	(iii) section		
	(iv) section.		
	(v) section		

अंडरटेकिंग /Undertaking

I,..... son/daughter of..... do hereby certify that the information given above is complete and correct and I'll be bound to submit all the documents relating to amount claimed by me.
 मैं पुत्र/ पुत्री श्री प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना पूर्ण है एवं सत्य है एवं मैं उपर्युक्त दर्शाए हुए दावों के साक्ष्य देने को प्रतिबद्ध रहूँगा/रहूँगी।

Place (स्थान)

Date (दिनांक)

Mob. No.(मोबाइल न.)-

(Signature of the employee)

Designation (पदनाम)

Full Name (नाम)

नोट:- 1) कृपया फॉर्म पूर्ण रूप से भरें, एवं अपना नाम (बड़े अक्षरों में), PAN तथा कर्मचारी कोड स्पष्ट रूप से लिखें।

2) कृपया यह फॉर्म सभी साक्ष्यों के साथ देय तिथि तक बिल अनुभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा माह अक्टूबर, 2021 में की जाने वाली आयकर गणना के पश्चात आयकर अधिक कट जाने की जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी एवं 21/09/2021 के बाद की जाने वाली किसी भी प्रकार के निवेश के दस्तावेज जनवरी माह में बिल अनुभाग में उपलब्ध न होने की स्थिति में निवेश की राशी को हटाकर शेष आयकर को कटौती फरवरी माह की सैलरी से की जाएगी।